

20.11.24

दोनों पक्षों के आभिव्यक्तियों उपरि-
उक्त पक्ष आभिव्यक्तियों को एक कृत्रिम
राशि कहकर उसे हटाने की मांग तथा पत्रावली
का अर्थोत्तर करने पर पक्षों कि सुझाव
रवायतदारी कोषों - वेबसाइट एवं एम.ई.
निवेदन का अर्थोत्तर प्राप्त हुआ है।
यहां कि सुझाव में आभिव्यक्तियों के आभिव्यक्ति
पर तब लेखन कि आभिव्यक्तियों को हटाने का
कारण के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन
हस्तगत प्रकरण में पक्षों के आदेश
को अथवा रस्ता यात्रा उत्तरित पत्रों
देता है, ताकि पत्रावली के अर्थ विवाद
आगे नहीं जावे। पक्षों द्वारा पत्रावली
कोषों स्वीकार किया जाता तथा पत्रावली
आभिव्यक्ति के आदेश विवाद 26.12.2022 से
दोनों पक्षों को सुझाव के अर्थोत्तर पत्रावली
किया जाता है।

पत्रावली पत्रावली पत्रावली पत्रावली
पत्रावली पत्रावली पत्रावली पत्रावली

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा